चेक/ लिखत संग्रहण नीति

अध्याय 3

3. परिचय

बैंक, अपने ग्राहकों को त्वरित संग्रह सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। इस दस्तावेज़ में निम्नलिखित पहलुओं को सम्मिलित किया गया है:

- स्थानीय केंद्रों, भारत और विदेश के केंद्रों पर देय चेक और अन्य लिखतों का संग्रहण।
- लिखतों के संग्रह के लिए समय मानदंड।
- उन प्रकरणों में ब्याज का भुगतान जहां स्थानीय/बाहरी लिखतों की आगम राशि की वसूली में समय मानदंडों से अधिक विलंब होता है।
- परेषण में खोए हुए लिखतों के संग्रहण से संव्यवहार।

3.1 चेक/लिखतों के संग्रहण हेतु व्यवस्था

3.1.1 स्थानीय चेक

a) स्थानीय रूप से देय समस्त सीटीएस अनुरूप चेक और अन्य परक्राम्य लिखत, केंद्र में प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। शाखाओं में प्रदर्शित निर्दिष्ट समय से पूर्व शाखा पटल पर और शाखा परिसर के भीतर संग्रह बॉक्स में जमा किए गए चेक, उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। निर्दिष्ट समय के पश्चात और ऑफ-साइट एटीएम सहित शाखा परिसर के बाहर संग्रह बॉक्स में जमा किए गए चेक, अगले समाशोधन आवर्तन में प्रस्तुत किए जाएंगे।

b) शाखाओं के साथ-साथ समाशोधन गृहों के बैंकिंग कारोबार-समय विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग हैं, इसलिए चेक प्राप्ति/चेक वापसी की समय-सीमा, स्थानीय समाशोधन गृह प्रथाओं के आधार पर विशिष्ट स्थानों/ शाखाओं के लिए संबंधित क्षेत्रों द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

c) समस्त चेक ड्रॉप बॉक्स में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि चेक ड्रॉप बॉक्स में डाले गए चेक को उसी दिन समाशोधन के लिए कब तक भेजा जाएगा।

d) शाखाओं में चेक ड्रॉप बॉक्स की सुविधा और उनके संग्रह पटल पर पावती सुविधा दोनों उपलब्ध होंगी। यदि पटल/काउंटर पर संग्रह के लिए चेक प्रस्तुत करते समय पावती की मांग की जाती है तो शाखाओं को पावती देने से मना नहीं करना चाहिए।

e) ग्राहकों के खाते में समाशोधन निपटान के दिवस ही राशि जमा की जाएगी। ग्राहकों को चेक वापसी समय की समाप्ति के पश्चात जमा की गई राशि को वापस लेने की अनुमति होगी (चेक वापसी समय, स्थानीय समाशोधन गृह द्वारा उस क्षेत्र में शाखा के समय के आधार पर निर्धारित किया जाता है)।

f) जिन केंद्रों पर कोई समाशोधन गृह नहीं है, वहां शाखाएं, अदाकर्ता बैंक को काउंटर पर स्थानीय चेक प्रस्तुत करेंगी और बैंक का प्रयास होगा कि प्राप्तियों को शीघ्रातिशीघ्र (ग्राहक द्वारा जमा करने की तिथि से तीन कार्य दिवस के भीतर) क्रेडिट किया जाए। हमारी शाखाओं पर आहरित स्थानीय चेक उसी दिन ग्राहक के खाते में जमा कर दिए जाएंगे।

3.1.2 गैर-सीटीएस चेक

गैर-सीटीएस चेक/ लिखत, समाशोधन के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसे लिखतों को आगे की प्रक्रिया के लिए अदाकर्ता/ आदाता बैंक के ओटीसी में सीधे प्रस्तुत किया जा सकता है। बैंक का प्रयास होगा कि प्राप्तियों को शीघ्रातिशीघ्र (ग्राहक द्वारा जमा करने की तिथि से तीन कार्य दिवस के भीतर) क्रेडिट किया जाए।

3.1.3 पेपर टु फॉलो (पी 2एफ)

आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक ने राज्य सरकार के चेकों के लिए पेपर टु फॉलो (पी 2एफ) को बंद करने के लिए प्रधान कार्यालय योजना एवं विकास विभाग परिपत्र संख्या 3493 दिनांकित 28.06.2019 के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए हैं।

3.1.4 राष्ट्रीय कलेंडर के अनुसार (शक संवत) दिनांक वहन करने वाले चेकों को भुगतान के लिए स्वीकृत किया जाना

हिंदी में लिखा गया लिखत जिसमें शक संवत कैलेंडर के अनुसार दिनांक हो, वैध लिखत है। इसलिए, अन्यथा सही पाए जाने पर राष्ट्रीय कैलेंडर (शक संवत) के अनुसार हिंदी में दिनांक वहन करने वाले चेक, बैंक द्वारा भुगतान के लिए स्वीकार किए जाएंगे। बैंक, गतावधि चेक के भुगतान से बचने के लिए राष्ट्रीय शक कलेंडर के दिनांक के समरूपी ग्रिगरियन कलेंडर दिनांक का पता लगा सकता है।

3.1.5 चेक/ ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश/ बैंकर्स चेक का भुगतान

बैंक, तिथि वाले चेकों/ ड्राफ्टों/ भुगतान आदेशों/ बैंकर चेकों का भुगतान उनके जारी होने की तिथि से तीन माह के पश्चात प्रस्तुत किए जाने पर नहीं करेगा।

3.2 बाहरी चेक:

a) बाहरी केंद्रों में अन्य बैंकों पर आहरित चेक, सामान्यतः उन केंद्रों पर बैंक शाखाओं के माध्यम से संग्रहित किए जाएंगे। कतिपय प्रकरणों में (यथा आरआरबी, सहकारी बैंक आदि) यदि किसी नगर/ केंद्र में आहर्ता बैंक शाखा/ हमारी शाखा की उपस्थिति नहीं है तो लिखत को सीधे अदाकर्ता बैंक के निकटतम बाहरी केंद्र में संग्रहण के लिए भेजा जाएगा अथवा किसी संपर्की बैंक के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा। बैंक, उन केंद्रों पर जहां इस प्रकार की संग्रह सेवाएं विद्यमान है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली राष्ट्रीय समाशोधन सेवाओं का भी उपयोग करेगा।

b) चूंकि बैंक सीबीएस नेटवर्क के माध्यम से सर्वत्र बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है इसलिए अपनी किसी भी शाखा पर आहरित बाहरी लिखतों के संबंध में निर्दिष्ट बैंकिंग घंटों तक शाखा में प्राप्त होने की स्थिति में उसी दिन क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे तथा यदि ऑफ-साइट एटीएम सहित शाखा परिसर के बाहर संग्रह बॉक्स में जमा/ डाले गए हैं तो अगले कार्य दिवस तक क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे।

3.3 विदेशों में देय चेक/ लिखतः

a) विदेशों में देय चेक/ लिखत उन प्रतिनिधि बैंकों के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे जहां प्रतिनिधि बैंक की उपस्थिति है।

b) उन केंद्रों पर जहां बैंक या उसका प्रतिनिधि बैंक प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति नहीं है, चेक/ लिखत आहर्ता बैंक को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाएगा कि प्राप्तियों को प्रतिनिधि बैंकों में से किसी एक के पास रखे गए बैंक के संबंधित नोस्ट्रो खाते में जमा कर दिया जाए।

c) विदेशों में आहरित चेक को 'सर्वोत्तम प्रयास' के आधार पर वसूली के लिए स्वीकार किया जाता है। बैंक संबंधित देशों में लागू विराम अवधि को ध्यान में रखते हुए संबंधित बैंक के साथ बैंक के नोस्ट्रो खाते में प्राप्तियां जमा करने पर पक्षकार को क्रेडिट देगा। ग्राहक को ई-मेल/ मोबाइल के माध्यम से चेक समाशोधन की स्थिति के संबंध में सूचित किया जा सकता है।
मद (C) में उल्लिखित उपरोक्त खंड को शामिल करने के लिए विदेशी लिखत प्राप्त करने के दौरान शाखाओं द्वारा अधपन्ना पर रबड़ मोहर लगाया जा सकता है।

d) विदेशी शाखाओं द्वारा लगाया जाने वाला संग्रहण शुल्क अत्यधिक है तथा यदि कम मूल्य के चेक एकत्र किए जाते हैं तो शेष राशि आउट-ऑफ-पॉकेट प्रभार को कवर करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकती है। इस संबंध में विदेशी उपकरणों को जमा करने से पहले ग्राहक को जेब से किए गए खर्च और समाशोधन शुल्क के विषय में सूचित किया जाना चाहिए ताकि ग्राहक, प्रामाणिक निर्णय ले सके।

3.4 ₹10000/- तक के स्थानीय/ बाह्य चेक/ लिखत का तत्काल क्रेडिट

3.4.1 बैंक, स्टाफ सदस्यों सहित व्यक्तिगत खाताधारकों द्वारा वसूली के लिए प्रस्तुत ₹10,000/- (किसी भी समय बकाया) तक के कुल मूल्य के अन्य पक्ष चेकों को तत्काल क्रेडिट प्रदान करने पर विचार करेगा, लेकिन निम्नलिखित शर्तों पर अव्यस्कों और अनिवासियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा:

i) बैंक को ग्राहक के खाते के उचित संचालन के संबंध में संतुष्ट होना चाहिए।
ii) बैंक समस्त व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को उनकी स्थिति अर्थात बचत बैंक, चालू या नकद ऋण के संबंध में बिना किसी पक्षपात के यह सुविधा प्रदान करेगा।
iii) बैंक को सुविधा प्रदान करने के लिए न्यूनतम शेष राशि के लिए कोई भिन्न शर्त नहीं होनी चाहिए।

इस नीति के प्रयोजन के लिए संतोषजनक रूप से संचालित खाता वह होगा :

a) जो न्यूनतम छह माह पूर्व खोला गया हो और केवाईसी मानदंडों का अनुपालन करता हो।
b) जिसका संचालन संतोषजनक रहा हो और बैंक द्वारा किसी अनियमित लेन-देन का अवलोकन नहीं किया गया हो।
c) जहां विगत तीन माह के दौरान कोई भी चेक/ लिखत जिसके लिए तत्काल क्रेडिट दिया गया था, वित्तीय कारणों से बिना भुगतान के वापस नहीं आया हो।
d) जहां बैंक को तत्काल क्रेडिट देने के बाद वापस किए गए चेक सहित अतीत में दी गई किसी भी राशि की वसूली में किसी भी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ हो।

बैंक, संग्रहण के लिए प्रस्तुत बाह्य लिखतों के विरुद्ध तत्काल ऋण प्रदान करते समय सामान्य संग्रहण शुल्क और जेब से किए गए खर्च लगाएगा। यद्यपि, चेक खरीद के लिए लागू विनिमय शुल्क नहीं लिया जाएगा।

3.4.2 **बिना भुगतान के वापस किए गए चेक पर ब्याज लगाना, जहां तत्काल क्रेडिट दिया गया था** :

i) यदि वसूली के लिए भेजा गया चेक जिसके लिए बैंक द्वारा तत्काल जमा की व्यवस्था की गई थी, बिना भुगतान के वापस आ जाता है तो चेक का मूल्य तुरंत वापस कर दिया जाएगा।
ii) उक्त चेक के जमा होने की तिथि से लेकर भुगतान हुए बिना वापस आने की अवधि तक के लिए ग्राहकों से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, जब तक कि खाते से धनराशि नहीं निकाल ली गई हो।
iii) जहां चेक, बचत बैंक खाते में जमा किया जाता है, यदि चेक बिना भुगतान के वापस आ जाता है तो जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

iv) जहां चेक को नकद क्रेडिट/ओवर ड्राफ्ट खाते में जमा किया जाता है, वहां संबंधित खाते पर लागू ब्याज दर पर ऐसे क्रेडिट की तिथि से चेक की वापसी की तिथि तक वसूल किया जाएगा।

चेक के नकारने/ वापस होने की स्थिति में, चेक वापसी शुल्क और ब्याज प्रतिदिन के आधार पर चेक जमा होने की तिथि से लेकर बैंक को धन की प्रतिपूर्ति होने तक या सृजित ओवर ड्राफ्ट के परिसमापन तक निम्नलिखित तरीके से लिया जाएगा :

i) बचत बैंक खाते/चालू खाते के संबंध में : बेजमानती ओवर ड्राफ्ट दर आधारित।
ii) नकद क्रेडिट/ ओवर ड्राफ्ट खाते के मामले में : संबंधित खाते पर लागू दर **या** बेजमानती ओवर ड्राफ्ट दर, जो भी अधिक हो?

नोट :

a) चेक वापसी/ छवि-आधारित चेक वापसी शुल्क केवल उन मामलों में लगाया जाएगा जहां ग्राहक की गलती है और ऐसी वापसी के लिए वह उत्तरदायी है।
b) तकनीकी कारणों से चेक/ छवि-आधारित चेक वापसी यदि भुगतानकर्ता की सहायता के बिना पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है तो ऐसे पुनः प्रस्तुतीकरण के संबंध में ग्राहकों को उचित सूचना देने के साथ तत्काल अगली प्रस्तुति समाशोधन में 24 घंटे (छुट्टियों को छोड़कर) से अधिक समय नहीं लिया जाएगा। यदि तकनीकी कारणों (नीचे दी गई सूची) से चेक वापस किए जाते हैं और तकनीकी कारण से लौटे चेक के पुनः प्रस्तुतीकरण में देरी होती है तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

तकनीकी कारणों से वापसी की निदर्शी सूची:

1) लिखत विकृत है; बैंक गारंटी की आवश्यकता है।
2) समाशोधन गृह की स्टांप/ तारीख आवश्यक।
3) गलत तरीके से वितरित/ हमारे माध्यम से नहीं निकाला गया।
4) उचित क्षेत्र प्रस्तुत कर रहें।
5) लिखत में बाहरी तथ्य विद्यमान है।
6) छवि स्पष्ट नहीं है; दस्तावेज के साथ पुनः प्रस्तुत करें।
7) दस्तावेज़ के साथ उपस्थित हों।
8) मदें दो बार सूचीबद्ध है।
9) दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं मिला।
10) दो बैंकों के द्वारा किया।
11) रेखन मुहर रद्द नहीं किया गया।

12) निकासी स्टांप रद्द नहीं किया गया।
13) विशेष रूप से दूसरे बैंक में भेजा गया लिखत।
14) आदाता का अनियमित समर्थन है / संग्रहकर्ता बैंक की पुष्टि की आवश्यकता है।
15) चिह्न/अंगूठे के निशान द्वारा समर्थन के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा मुहर सहित सत्यापन आवश्यक है।
16) सूचना प्राप्त नहीं हुई।
17) सूचना के स्तर पर राशि/नाम में भिन्नता है।
18) प्रायोजक बैंक के पास आहर्ता बैंक की निधि अपर्याप्त (उप-सदस्यों पर लागू)।
19) बैंक की आवश्यकताओं को आदाता अलग से निर्वहन करेगा।
20) आगामी मास के प्रथम तिथि तक देय नहीं।
21) भुगतान आदेश के लिए प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता होती है।
22) अपेक्षित जानकारी सुपाठ्य/सही नहीं है।
23) बैंक का प्रमाण पत्र अस्पष्ट/अपूर्ण/अनिवार्य।
24) ड्राफ्ट जारीकर्ता कार्यालय द्वारा खो गया; जारीकर्ता कार्यालय से पुष्टि आवश्यक।
25) बैंक/शाखा अवरुद्ध।
26) डिजिटल प्रमाण-पत्र सत्यापन विफल।
27) अन्य कारण-कनेक्टिविटी में विफलता।
28) 'भुगतानकर्ता के खाते में जमा – स्टांप आवश्यक।
29) बैंक को छोड़कर।

3.5 ₹10,000/- से अधिक के स्थानीय/बाहरी चेकों की खरीद:

बैंक अपने विवेकानुसार, ग्राहक के विशिष्ट अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार संग्रहण हेतु प्रस्तुत स्थानीय/बाहरी चेक खरीद सकता है।

3.6 आदाता खाता चेक का संग्रहण – अन्य पक्ष के खाते में आगम करने पर प्रतिबंध:

a) बैंक, आदाता घटक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाता के लिए आदाता चेक एकत्र नहीं करेगा। जहां आहर्ता/ आदाता बैंक को आदाता के अलावा किसी अन्य खाते में आगम जमा संग्रह की करने का निर्देश देता है, यह निर्देश 'खाता आदाता' चेक के इच्छित अंतर्निहित चरित्र के विपरीत है, बैंक आदाता/ आदाता से चेक या उस पर खाता आदाता अधिदेश वापस लेने के लिए कह सकता है।
यह अनुदेश किसी बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक को देय चेक के संबंध में भी लागू होगा।

b) भुगतान प्रणाली के दृष्टिकोण से चेकों के संग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए उप-सदस्य के पास उनके ग्राहकों के खाते में जमा करने के लिए जमा किए गए खाता आदाता चेक को समाशोधन गृह के सदस्य बैंक (प्रायोजक सदस्य के रूप में संदर्भित) द्वारा एकत्र किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्थाओं के तहत इस आशय का स्पष्ट वचन होना चाहिए कि खाता आदाता चेक की आय केवल प्राप्ति के उपरांत आदाता के खाते में जमा की जाएगी।

c) सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों द्वारा खाता आदाता चेकों के संग्रहण में के दौरान आने वाली कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से, बैंक अपने ग्राहकों, जो सहकारी ऋण समितियां हैं, के खाते में ₹50,000/- से अधिक राशि के लिए आहरित खाता आदाता चेकों को संग्रहित करने पर विचार कर सकता है, यदि ऐसे चेकों के आदाता ऐसी सहकारी ऋण समितियों के घटक हैं। उपर्युक्त अनुसार चेकों का संग्रहण करते समय, बैंक को संबंधित सहकारी ऋण समितियों द्वारा लिखित रूप में स्पष्ट अभ्यावेदन प्राप्त करना चाहिए कि वसूली के बाद, चेक की आय केवल सहकारी ऋण समिति के उस सदस्य के खाते में जमा की जाएगी जो चेक में नामित आदाता है। हालाँकि, यह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 131 सहित प्रावधानों की आवश्यक मापदंडों के अंतर्गत होगा।

3.7 चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली (पीपीएस)।

सकारात्मक भुगतान प्रणाली की अवधारणा में बड़े मूल्य के चेक के मुख्य विवरणों की पुनः पुष्टि करने की प्रक्रिया शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत, चेक जारी करने वाला व्यक्ति एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग आदि जैसे प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस चेक के कुछ न्यूनतम विवरण (जैसे तारीख, लाभार्थी/भुगतानकर्ता का नाम, राशि इत्यादि) आहर्ता बैंक को प्रस्तुत करता है। यह प्रणाली प्रस्तुतकर्ता बैंक के साथ-साथ आहर्ता बैंक दोनों को मान्य चेक जानकारी प्रदान करेगी और चेक समाशोधन प्रक्रिया में समुचित सावधानी के लिए एक अतिरिक्त उपकरण के रूप में कार्य करेगी।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने सीटीएस में सकारात्मक भुगतान प्रणाली (पीपीएस) की सुविधा विकसित की है और इसे भागीदार बैंकों को उपलब्ध कराया है। बदले में, बैंक ने ₹50,000 और उससे अधिक की राशि के चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए इसे सक्षम किया है। हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक के विवेक पर निर्भर करता है लेकिन बैंक ₹5,00,000 और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं।

पीपीएस बैंकों को समाशोधन प्रक्रिया के दौरान अपने ग्राहकों से एकत्रित चेक के सत्यापन के लिए जारी डाटा को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा। केवल वे चेक जो उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप हैं, सीटीएस ग्रिड पर विवाद समाधान तंत्र के तहत स्वीकार किए जाएंगे।

3.7.1 सकारात्मक भुगतान प्रणाली के लिए प्रक्रिया प्रवाह:

I) चेक जारी होने के बाद ग्राहक को बैंक को जारी किए गए उपकरणों का विवरण देना होगा। ग्राहक द्वारा जारी किए गए चेक का विवरण बैंक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस, शाखा में जाकर आदि विभिन्न तरीकों से एकत्र किया जाएगा।

II) विवरण एकत्रित करने के उपरांत, बैंक एनपीसीआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में विवरण तैयार करके समाशोधन गृह को भेजेगा। एनपीसीआई को डाटा भेजने से पहले बैंक द्वारा आवश्यक प्रमाणीकरण और डेटा सत्यापन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

III) अपलोड की गई फ़ाइल को सिंटैक्स के लिए मान्य किया जाएगा और यह भी कि सभी अनिवार्य क्षेत्र मौजूद हैं या नहीं। सत्यापन के बाद, डाटा को पीपीएस डाटाबेस में अपडेट किया जाएगा और अपलोड की गई फ़ाइल से संबंधी प्रतिवचन को बैंक से साझा की जाएगी। इसके बाद, प्रस्तुति सत्र में बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए चेक को एनपीसीआई द्वारा पीपीएस डाटा के से मिलान किया जाएगा।

IV) उपर्युक्त रिपोर्ट संबंधित प्रस्तुतकर्ता बैंक को सूचना के रूप में भी उपलब्ध कराई जाती है और आवश्यक होने पर मामले के आधार पर निवारक कार्रवाई करने के लिए भी उपलब्ध कराई जाती है।

3.8 देश की सभी शाखाओं में चेक ट्रंकेशन सिस्टम का विस्तार किया गया है।

चेक ट्रंकेशन सिस्टम की उपलब्धता का लाभ उठाने और ग्राहकों को उनकी बैंक शाखा के स्थान के बावजूद एक समान अनुभव प्रदान करने के लिए, देश की सभी बैंक शाखाओं में चेक ट्रंकेशन सिस्टम समाशोधन का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी शाखाएं संबंधित ग्रिड (यानी उत्तरी ग्रिड- आरसीसी दिल्ली, दक्षिणी ग्रिड- आरसीसी चेन्नई और पश्चिमी ग्रिड आरसीसी मुंबई) के तहत छवि-आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम समाशोधन में भाग लें।

3.9 स्थानीय/बाहरी केंद्र का चेक/ उपकरणों के संग्रहण के लिए समय-सीमा

3.9.1 स्थानीय चेक

स्थानीय चेक, समाशोधन गृह के अधिकार क्षेत्र में देय हैं और उक्त समाशोधन केंद्र में प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। सापेक्ष रिटर्न समाशोधन के समापन होने के तुरंत बाद जमा और निकासी की अनुमति उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस पर कारोबार शुरू होने के एक घंटे के भीतर दी जाएगी, जो सामान्य सुरक्षा उपायों के अधीन है।

3.9.2 बाहरी चेक

देश के अंदर स्थित केंद्रों पर संग्रहण हेतु भेजे गए चेक/उपकरणों के लिए, निम्नलिखित समय मानदंड लागू होंगे :

a) सीटीएस केंद्रों पर देय चेक की अधिकतम अवधि - 07 दिन।
b) गैर-सीटीएस केंद्रों पर देय चेक की अधिकतम अवधि - 10 दिन।

उपरोक्त निर्दिष्ट वसूली अवधि की गणना के प्रयोजन से छुट्टियों को बाहर रखा जाएगा।

3.10 विलंबित वसूली पर मुआवज़ा

यदि उपरोक्त उल्लिखित समय अवधि से परे ऋण देने में देरी होती है तो बैंक अपने सभी प्रकार के ग्राहकों को वसूली लिखत की राशि पर बचत जमा ब्याज का भुगतान करेगा। इस तरह के ब्याज का भुगतान सभी प्रकार के खातों में ग्राहकों से किसी भी मांग के बिना किया जाएगा। विलंबित वसूली पर ब्याज के भुगतान पर निकाले गए लिखतों के बीच कोई अंतर नहीं होगा।

3.11 पारगमन/ समाशोधन प्रक्रिया में अथवा भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में गुम हुए चेक/ लिखत-

यदि वसूली के लिए स्वीकार किया गया कोई चेक या लिखत पारगमन अथवा समाशोधन प्रक्रिया में अथवा भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में गुम हो जाता है तो बैंक को नुकसान का पता चलते ही तुरंत खाताधारक को इसकी जानकारी देनी चाहिए ताकि खाताधारक भुगतान रोकने के लिए चेक जारीकर्ता को सूचित कर सके।

इस संबंध में, बैंक को ग्राहक को लिखत के खो जाने की सूचना तुरंत देनी चाहिए।

a) यदि लिखत के खो जाने की सूचना ग्राहक को वसूली के लिए निर्धारित समय सीमा (3/ 7/ 10 दिन, जैसा भी मामला हो) के बाद दी जाती है तो निर्धारित वसूली अवधि से अधिक अवधि के लिए उपरोक्त निर्दिष्ट दरों पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
b) इसके अलावा अनुलिपि चेक/ लिखत प्राप्त करने और उसकी वसूली में संभावित देरी के लिए बैंक बचत बैंक दर पर 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए चेक की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा।
c) बैंक अपनी क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार, लिखत के भुगतान रोकने संबंधी प्रभारों तथा अनुलिपि लिखत प्राप्त करने में लगने वाले प्रभारों के संबंध में ग्राहक को किसी भी उचित प्रभार की क्षतिपूर्ति भी करेगा।
d) ऐसे मामलों में, जहां चेक भुनाने के बाद खो जाता है-

i) जब भुनाए गए लिखत की समय पर वसूली नहीं होती है तो शाखा पूछताछ करेगी ताकि भुनाए गए लिखत के खो जाने की सूचना बैंक को तुरंत मिल सके।
ii) यह पता चलने पर कि लिखत खो गया है, शाखा ग्राहक को तुरंत मेल/मोबाइल के माध्यम से सूचित करेगी।
iii) जब बैंक को लिखत के खो जाने के बारे में पता चलेगा तो वह 15 दिनों की अवधि तक ब्याज नहीं वसूलेगा। इससे उधारकर्ता को आहरणकर्ता से अनुलिपि लिखत प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।
iv) यदि उधारकर्ता 15 दिन बीत जाने के बाद भी खाता परिसमापन करने में विफल रहता है तो उससे अनुबंध दर पर ब्याज वसूला जाएगा, जब तक कि अग्रिम राशि का पूरा भुगतान नहीं हो जाता। इन शर्तों के बारे में ग्राहक को सूचित किया जाना चाहिए। इन्हें जमा पर्ची (क्रेडिट स्लिप) में सूचित करना होगा और ग्राहक से हस्ताक्षर करवाना होगा।

3.12 सेवा शुल्क

बैंक सभी वसूली सेवाओं के लिए समय-समय पर बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार उचित सेवा शुल्क वसूल करेगा और बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित करके ग्राहकों को सूचित करेगा।

3.13 अप्रत्याशित घटना

यदि कोई अप्रत्याशित घटना (नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, तालाबंदी, हड़ताल या अन्य श्रमिक गड़बड़ी, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक आपदा या अन्य "ईश्वरीय कृत्य", युद्ध, बैंक या उसके संबंधित बैंक की सुविधाओं को नुकसान, संचार के सामान्य साधनों या सभी प्रकार के परिवहन की अनुपस्थिति आदि) की स्थिति में विलंबित ऋण के लिए बैंक ग्राहकों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक के नियंत्रण से परे कोई भी दायित्व उसे निर्दिष्ट सेवा वितरण मापदंडों के भीतर अपने दायित्वों को पूरा करने से रोकता है।

3.14 **विविध** –

A) चेक संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेक में बदलाव/ सुधार पर रोक लगा दी है। चेक पर किसी भी बदलाव/ सुधार की अनुमति नहीं है (तिथि सत्यापन उद्देश्य के अलावा, यदि आवश्यक हो)। प्राप्तकर्ता के नाम, शिष्टाचार राशि (राशि अंकों में) या कानूनी राशि (राशि शब्दों में) में किसी भी बदलाव के लिए नई चेक लीफ का उपयोग किया जाना चाहिए। यह प्रतिबंध केवल छवि आधारित सीटीएस के तहत समाशोधित चेक पर लागू है। यह लिखतों के भौतिक विनिमय के अंतर्गत समाशोधित चेकों पर लागू नहीं है।

B) जो चेक 153पे-इन-स्लिप पर उल्लिखित गलत खाता संख्या के साथ जमा किए गए हैं, बैंक ऐसे चेक को 48 कार्य घंटों के भीतर उल्लिखित पते पर ग्राहक को वापस कर देगा। हालांकि, अपूर्ण पता, अपूर्ण फोन नंबर या पे-इन-स्लिप पर कोई फोन नंबर अंकित न होने की स्थिति में, बैंक अधिकतम 3 महीने तक लिखत रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

C) बिना भुगतान के वापस प्राप्त चेक को बैंक के डाटाबेस में दर्ज पते पर 48 कार्य घंटों के भीतर ग्राहक को डाक/ कूरियर आदि द्वारा वापस कर दिया जाएगा। हालांकि, यदि ग्राहक इसके लिए अनुरोध करता है तो चेक को काउंटर पर वापस करने के लिए शाखा में रखा जाएगा। यदि ग्राहक द्वारा 15 दिनों के भीतर इसे एकत्र नहीं किया जाता है तो शाखा इसे ग्राहक के पते पर डाक (पंजीकृत ए/डी डाक/कूरियर) द्वारा वापस भेज देगी।

D) शाखा को चेक के वापसी की तारीख, वापस करने का वैध कारण और चेक के नकारने/ वापसी के संबंध में चेक रिटर्न मेमो पर हस्ताक्षर/आद्याक्षर का उल्लेख करना होगा। इससे लिखत धारक को चेक जारी करने वाले के विरुद्ध कानूनी सहारा लेने में मदद मिलेगी।